न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीगंगानगर

ीठासीन अधिकारी :– संजय कुमार अग्रवाल आर.ए.एस.

ानवान :– राजस्व वाद संख्या 04/2018

रामकुमार पुत्र श्री भजनलाल आयु 62 वर्ष जाति बिश्नोई निवासी चक 2 डी छोटी, साधुवाली तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर (राज0) हाल आबाद चक 6 केएनडी (बी) तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर

.... वादी

बनाम

1. कृष्णलाल पुत्र श्री भजनलाल जाति बिश्नोई साकिनाए चक 2 डी छोटी, साधुवाली तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर (राज0) (मृतक)
   1/1 – सुनील दत्त
   1/2 – कुलदीपराय
   1/3 – इन्द्रजीत
   } पिसरान स्व. कृष्णलाल कौम बिश्नोई साकिनाए चक 2 डी छोटी, साधुवाली तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. साहबराम पुत्र श्री भजनलाल
3. मांगीलाल पुत्र श्री सहीराम
4. विजयपाल पुत्र श्री रामचन्द्र
5. दिनेश कुमार पुत्र श्री सुभाष
6. अभिनेत्र पुत्र श्री रमेशकुमार
7. सुमन पत्नी श्री रमेशकुमार
8. लोकेशकुमार पुत्र श्री मांगीलाल

   } कौम बिश्नोई साकिनाए चक 2 डी छोटी साधुवाली तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर (राज0) ।
9. कलावतीदेवी
10. चावलीदेवी
11. राममूर्ति
12. शारदा

   } पुत्रियां श्री सहीराम कौम बिश्नोई साकिनाए चक 2 डी छोटी, साधुवाली तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर (राज0) ।
13. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित ::–

1.	श्री महेश दादरवाल अधिवक्ता	वादी
2.	श्री संजय जनवेजा	प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/3
3.	श्री महेन्द्र सिंह राठौड़	प्रतिवादी संख्या 2
4.	श्री जगदीश गोदारा	प्रतिवादी संख्या 7 व 8
5.	श्री विक्रम बिश्नोई	प्रतिवादी संख्या 3 ता 6

प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

6.	पैरोकार राज	प्रतिवादी–13

–:: निर्णय ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 15:37:27 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक :–07.03.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में [illegible] कि चक 2 डी छोटी ाहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के खाता सं0–71/68 में मुरब्बा [illegible] किला नं0– 1ता 20 ालम (5060) है0 नहरी, किला नम्बर 21/1 (.127) नहरी, 21/2 (.126) गै0मु0 ढाणी 2 ता 25 (.759) नहरी कुल 6.325 है0 नहरी गै0मु0ढाणी तथा गुरबा नं0–40 में

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

कि0नं0–1/1(.063), 2ता 9(2.024), 10/1(.063), 11/1(.063), 1 219(2.024), 20/1(. 063),21/1(.063), 22ता 25 (1.012) नहरी कुल 5.375 है0 नहरी मय खाला भूमि अर्थात उपरोक्त वर्णित कुल रकबा 11.700 है0 नहरी मय खाला गै०मु०ढाणी मुश्तरका में वादी तथा प्रतिवादीगण सं0– 1 ता 12 के नाम से दर्ज जमाबंदी खातेदारी सम्वत –2068से 71 है। चक 2डी छोटी तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के खाता सं0–71/68 के मुरबा नं0–39 की 6.325 है0 नहरी गै०मु०ढाणी तथा मुरबा नं0–40 की नहरी कुल 5.375 है0 नहरी मय खाला भूमि उपरोक्त वर्णित मुश्तरका खाता की कुल रकबा 1 1.700 है0नहरी मय खाला गै०मु०ढाणी कृषि भूमि में से वादी के नाम से 1/3 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा अर्थात 1.300 है० हिस्सा भूमि हिस्से में आई थी जिसमें से वादी ने जरिये उपहार पत्र 0.253 है0 हिस्सा कृ षि भूमि अपने भूमि उपरोक्त वर्णित मुश्तरका खाता की कुल रकबा 11.700 है०नहरी मय खाला गै०मु०ढाणी कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं0–1 व 2 के नाम से 2.833है0 हिस्सा भूमि, प्रतिवादी सं0–3 मांगीलाल पुत्र सहीराम के नाम से 1.625 है0 हिस्सा भूमि, प्रतिवादी सं0–4 विजयपाल पुत्र रामचन्द्र के नाम से 1.300 है0 हिस्सा भूमि, प्रतिवादी सं0–5 दिनेशकुमार पुत्र सुभाष के नाम से 1.300 है0 हिस्सा भूमि, प्रतिवादी सं0–6 अभिनेत्र पुत्र रमेशकुमार के नाम से 0.975 है0 हिस्सा भूमि दर्ज, प्रतिवादी सं0–7 सुमन पत्नी रमेशकुमार के नाम से 0.325 है0 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं0–8 लोकेशकुमार पुत्र मांगीलाल के नाम से 1.300है0 हिस्सा भूमि, प्रतिवादी सं0– 7 ता 10 कलावती–चावली– राममूर्ति – शारदा पुत्रियां श्री सहीराम के नाम से 0.975 है0 हिस्सा भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज है जिसे पक्षकारान बनाया गया है। वादी तथा प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 के मध्य वाद में वर्णित रकबा का घरेलू बंटवारानामा पूर्व में दिनांक 14.11.2008 लिखा जाकर अपनी अपनी सहमति के हस्ताक्षर व अगूठा निशान किये थे तथा मुताबिक घरेलू बंटवारा वादी के हिस्सा में उक्त चक 2 डी छोटी के मुरबा नं0–40 के किला नम्बर 6, 7 सालम, 8 (0.10) ,11(0.05), 12–13 सालम, 14 (0–05) कुल 5–00 बीघा नहरी भूमि बंटवारा में आयी थी जोकि वादी का हिस्सा कम अंकित किया जाने के कारण पुनः मौखिक बंटवारा किया गया जिसमें वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बराबर बराबर हिस्सा प्राप्त हुआ इस प्रकार से वादी की 1.300 है 0 हिस्सा भूमि में से वादी ने जरिये उपहार पत्र 0.253 है० हिस्सा कृषि भूमि अपने भाईयों प्रतिवादी संख्या–1 व 2 को उपहार में दे दी तत्पश्चात वादी के हिस्सा में शेष भूमि 1.047 है० हिस्सा भूमि रही जिसका खाता तकसीम नही होने के कारण मुश्तरका खाता चला आ रहा है वादी अपने हिस्सा की कब्जानुसार घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में भूमि अपने नाम करवाने का अधिकारी है।

(6) यह कि वादी के कब्जा काश्त की कृषि भूमि चक 2 डी छोटी के खाता सं0–71/68 मुरबा नं0–39 व मुरबा नं0– 40का कुल रकबा 11.700 है०नहरी मय खाला गै०मु०ढाणी कृषि भूमि में से वादी के कब्जा काश्त में मुरबा नं0–40 में कि0नं0–7 के (.253), 8(.039), 1/1(063), 12–13(0.506), 14(.186) कुल 1.047 है0 हिस्सा नहरी भूमि है जिस पर वादी का कब्जा बिना किसी विवाद के मय पानी बारी चला आ रहा है इसलिए वादी अपने हिस्से की कब्जा काश्त की उक्त वर्णित भूमि की अधिकारों की घोषणा करवाने व बंटवारा करवाने का अधिकारी है। वादी अपने हिस्से में आई हुई उक्त कृषि भूमि का अलग से लगान कायम करवाने व इन्द्राज राजस्व में करने हेतू बंटवारा करना चाहता है जिससे वादी के हिस्से की कृषि भूमि की पानी की पर्ची, लगान आदि [illegible] जा सके जिसके लिए खाता तकसीम किया जाना कानूनी आवश्यक है। वा[illegible] मुश्तरका खाते की कृषि भूमि का बंटवारा करवाकर खाता तकसीम [illegible] प्रतिवादीगण से आग्रह किया लेकिन बार बार आगे से आगे टरका[illegible] [illegible]2–2017 को जब वादी ने प्रतिवादी सं0–1 व 2 से उक्त रकबा का बंटवारा करवाने के लिए कहा तो बंटवारा करने से साफ इनकारी कर दी तथा इनकारी से ही वादी को वाद कारण उत्पन्न हुआ। वादी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 15:27:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अपने कब्जा काश्त की कृषि भूमि का बंटवारा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है इसलिये बंटवारा किया जाकर अलग से लगान कायम किया जावे। प्रतिवादी सं0 3 ता 12 सहहिस्सेदार है तथा मुश्तरका खाता की भूमि का बंटवारा करवाने के लिये सभी हिस्सेदारान को पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी सं0–13 लैण्ड होल्डर है इसलिये पक्षकार बनाया गया है। वाद अदालतबाला के क्षेत्राधिकारी व श्रवणाधिकार का है जो इनकारी से अन्दर मियाद तीन रूप्ये की कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निम्न प्रकार से डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया :–

(क) इस आश्य की घोषणात्मक आदेश जारी किया जावे कि चक 2 डी छाटी तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के मुरबा नम्बर –40 में कि0नं0–7 (253), 8 (.039), 11/1 (.063), 12–13(0.506), 14(.186) का कुल रकबा 1.047 है0 नहरी भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर खाता तकसीम किया जावे।

(ख) इस आशय की डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि चक 2 डी छोटी तह. व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 71/68 मुरबा नम्बर –40 में कि0नं0–7 (253), 8 (.039), 11/1 (.063), 12–13(0.506), 14(.186) का कुल रकबा 1.047 है0 नहरी भूमि का जब तक बंटवारा नही हो जाता तब तक प्रतिवादीण रहन, बैय या अन्य तरीके से मुतकिल करने से बाज व ममनू रहे ।

(ग) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(घ) अन्य कोई अनुतोष जो वादी के हित में प्रदान किया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 को जारी सम्मन पर विधिवत तामील होने पर न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार वर्णित भूमि संयुक्त स्वामित्व की भूमि है जिसमें प्रत्येक हिस्सेदार का हक, हिस्सा व कब्जा निहित है। वादी अपने हिस्सानुसार वर्णित भूमि के सम्बंध में अलग अलग बीघा वाईज घोषणा करवाने का व राजस्व रिकॉर्ड में भूमि अलग–अलग बीघा वाईज अपने नाम करवाने का अधिकारी नही है। वादी चरण में वर्णित अपने हिस्सानुसार वर्णित भूमि के सम्बंध में घोषणा करवाने का व राजस्व रिकॉर्ड में भूमि अलग–अलग बीघा वाईज अपने नाम करवाने का अधिकारी नही है और ना ही उक्त अनुसार वादी बंटवारा करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 2 उक्त वर्णित तथ्यों से सहमत नही है और ना ही उसे स्वीकार्य है। वाद–पत्र की चरण संख्या 8 में वर्णित तथ्य जिस तरह से अंकित किये गये है मिथ्या व निराधार होने के कारण अस्वीकार है। वादी ने संयुक्त खाता की कृषि भूमि का बंटवारा करवाकर अलग–अलग खाता तकसीम करवाने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 को कभी भी नही कहा। वादी को प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध वाद कारण उपलब्ध नही है इसलिए वादकारण के अभाव में वांद खारिज किये जाने योग्य है। वादी चरण में वर्णित अपने हिस्सानुसार वर्णित भूमि के सम्बंध में घोषणा करवाने का व राजस्व रिकॉर्ड में भूमि अपने नाम करवाने का अधिकारी नही है और ना ही उक्त अनुसार वादी बंटवारा करवाने का अधिकारी है। वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष से प्रतिवादी संख्या 2 सहमत नही है ना ही उसे स्वीकार्य है। वादी अनुचित तरीके से अच्छी कृषि भूमि का लाभ प्राप्त करना चाहता है जिसका वह अधिकारी नही है। वर्णित कृषि भूमि संयुक्त स्वामित्व की कृषि भूमि है जिसमें प्रत्येक हिस्सेंदार अच्छी श्रेणी में से अच्छी व निम्न श्रेणी में से निम्न श्रेणी की कृषि भूमि प्राप्त करने के हकदार है। वादी चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है तथा वादी का वाद खारिज योग्य है। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या 2 का [illegible] खारिज फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 15:27:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 3 व 8 की ओर से जवाब दावा [illegible] पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार मद में दर्ज भूमि संयुक्त खाता की पैतृक सम्पत्ति है जो दादा पड़दादा से चली आ रही है। संयुक्त खाता की भूमि में प्रत्येक इंच पर सभी खातेदार काश्त

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

कारान का बराबर–बराबर हक व हिस्सा होता है। चक 2 डी छोटी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 71/68 का मु.न. 39,40 का कुल रकबा 11.700 हैक्टर दर्ज राजस्व रिकार्ड है। शेष मद में वर्णित तथ्य अस्वीकार हैं प्रतिवादीगण को इसकी कोई जानकारी नहीं है। चक 2 डी छोटी के खाता संख्या 71/68 के मु.न. 39 व 40 की कुल भूमि 11.700 हैक्टर संयुक्त परिवार व संयुक्त खाता की सम्पति है । भूमि वादी एव प्रतिवादीगण के दादा पड़दादा से चली आ रही है इसलिए उक्त रकबा पैतृक सम्पत्ति है। वादी एव प्रतिवादीगण सभी एक परिवार व वंश के सदस्य है । क्लेम में दर्ज है वादी रामकुमार एव प्रतिवादी संख्या 1 कृष्णलाल व 2 साहबराम तीनो आपस में सगे भाई है उक्त वर्णित भूमि में वादी एव प्रतिवादीगण सभी बराबर के हकदार हिस्सेदार है तो अकेले वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तीनों ही बंटवारा कैसे कर सकते है क्योकि रकबा पैतृक संयुक्त खाता का है तथा ना ही कभी कोई मौखिक बंटवारा हुआ है वादी रामकुमार एव प्रतिवादी संख्या 1 कृष्णलाल व प्रतिवादी संख्या 2 साहबराम तीनों भाईयों ने मिलकर आपस में साजबाज करके षड़यंत्र रचकर अपने आप को फायदा पहुंचाने तथा शेष प्रतिवादीगण को नुकसान पहुंचाने की नियत से तथा कथित घरेलु बंटवारानामा दिनांक 14.11.2008 को तैयार किया है । इस बंटवारनामा में प्रतिवादी संख्या 3 ता 12 की कही कोई सहमति नहीं है तथा ना ही कही कोई हस्ताक्षर है तथा ना ही दावा दायर करने से पूर्व बंटवारनामा का ज्ञान था । चूंकि वादी रिटायर टीचर है जो काफी चालाक, चतुर व लालची किस्म का व्यक्ति है जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एव वादी तीनों भाई आपस में मिलकर शेष प्रतिवादीगण से अच्छी एव बेशकीमती भूमि हड़पना चाहते है। वादी के हिस्सा में चक 2 डी छोटी के मु.न. 40 के किला नम्बर 6,7,8(0.10) 11(0.05), 12, 13, 14(0.05) कुल 5 बीघा भूमि कभी भी बंटवारा में नहीं आई थी तथा इस भूमि पर वादी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा ना ही कभी कोई बंटवारा प्रतिवादी संख्या 3 ता 12 के साथ वादी का हुआ है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तीनों भाईयों ने आपस में मिलकर प्रतिवादी संख्या 3 ता 12 को बिना बताए गुपचुप तरीके से तथाकथित बंटवारानामा तैयार किया है जबकि बंटवारानामा में दर्ज भूमि संयुक्त खाता की पैतृक सम्पति है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 12 इस भूमि के बराबर के हकदार हिस्सेदार है इसलिए तथाकथित बंटवरानामा दिनांक 14.11.2008 प्रतिवादी संख्या 3 ता 12 के हक व हितों पर निष्प्रभावी एव शून्य तथा विधि विरूद्व है इसलिए इस बंटवारानामा को वाद पत्र का आधार नहीं माना जा सकता है संयुक्त खाता की पैतृक सम्पति का बंटवारानामा करने के लिए सभी खातेदार हिस्सेदारान की सहमति कानूनन आवश्यक होती है वादी ने दावा में तथ्य मिथ्या व निराधार दर्ज किये है दावा में वर्णित भूमि संयुक्त खाता की पैतृक सम्पति है जिसमें प्रत्येक हिस्सेदार का हक, हिस्सा वा कब्जा निहित है वादी शेष प्रतिवादीगण के साथ विधिक बंटवारा किये बिना अपने नाम से अलग बीघा वाईज घोषणाकरवाने तथा राजस्व रिकार्ड में भूमि अलग दर्ज करवाने का अधिकारी नहीं है। वाद पत्र की मद संख्या 6 अस्वीकार है चक 2 डी छोटी के मु.न. 39 व 40 की दावा में दर्ज भूमि कालवाला साधुवाली बाईपास नेशनल हाईवे संख्या 62 पर स्थित है जो कि हाईवे के साथ चिपती मु. न. 40 की भूमि बेशकीमति भूमि है तथा मुन 39 की भूमि हाईवे से दूर होने के कारण कम कीमत की भूमि है वादी ने इस मद में तथ्य झूठे मिथ्या एव निराधार दर्ज किये है। वादी का मु.न. 40 के किला नम्बर 7, 8,11, 12, 13 व 14 की कुल भूमि 1.047 हैक्टर हिस्सा पर वादी का मौका पर कब्जा काश्त नहीं है तथा ना ही कभी रहा है। मु.न. 39 व 40 की वर्णित भूमि संयुक्त खाता, संयुक्त स्वामित्व की पैतृक भूमि है जो दादा पड़दादा से चली आ रही है इसलिए इस भूमि में प्रत्येक खातेदार हिस्सेदार का प्रत्येक इंच पर हक, हिस्सा व कब्जा निहित होता है इसलिए वादी इस मद में दर्ज रकबे अनुसार अपने नाम अलग बीघा बाईज घोषणा करवाने तथा राजस्व रिकार्ड में अलग बीघा बाईज हिस्सा दर्ज करवाने का अधिकारी नहीं है तथा ना ही वादी इस मद अनुसार बंटवारा करवाने का अधिकारी है। इसलिए वादी का दावा खारिज किये जाने योग्य है। वाद पत्र की मद संख्या 7 में वर्णित तथ्य झूठे मनगढ़त व निराधार होने के कारण स्वीकार नहीं है। वादी एव प्रतिवादीगण सभी एक ही परिवार के सदस्य है तथा दावा में वर्णित भूमि पैतृक खाता की है। इसलिए वादी प्रतिवादीगण के साथ कानूनन बंटवारा व सहमति तथा प्रतिवादी के बिना वादी अकेला ही संयुक्त खाता की पैतृक भूमि में से अपनी इच्छा अनुसार बहुमूल्य भूमि का हिस्सा कैसे प्राप्त कर सकता है वादी रिटायर टीचर है जो काफी चालाक, चतुर व लालची किस्म का

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 15:27:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

व्यक्ति है। वादी के मन में लालच व बेईमानी पैदा हो गई है इसलिए वादी नेशनल हाईवे के साथ चिपती बेशकीमती भूमि अकेले अपने नाम दर्ज करवाकर हड़पना चाहता है। वादी अपने हिस्से अनुसार दावा में दर्ज भूमि की घोषणा करवाने राजस्व रिकार्ड में अलग बीघा वाईज दर्ज करवाने, बंटवारा करवाने, पानी पर्ची लगान अपने नाम करवाने तथा खाता तकसीम करवाने का अधिकारी नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 व 8 वादी के तथ्यों से सहमत नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 व 8 अपना अलग से प्रतिदावा (काऊंटर क्लेम) पेश कर रहे है। वाद पत्र की मद संख्या 8 में वर्णित तथ्य झूठे, मिथ्या, मनगढ़त व निराधार होने के कारण स्वीकार नहीं है। वादी ने उक्त वर्णित संयुक्त खाता की पैतृक कृषि भूमि का बंटवारा करने तथा अलग-अलग खाता तकसीम करवाने के लिए प्रतिवादीगण को कभी भी नहीं कहा था वादी को प्रतिवादीगण के खिलाफ वाद कारण ही उपलब्ध नहीं है इसलिए वाद कारण के अभाव में वादी का दावा खारिज योग्य है। वर्णित भूमि वादी को प्रतिवादीगण से बंटवारा में कभी भी प्राप्त नहीं हुई है इस भूमि पर वादी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा ना ही आज मौका पर वादी का कब्जा काश्त है दावा में वर्णित उक्त भूमि संयुक्त परिवार व संयुक्त खाता की पैतृक सम्पति है जो वादी एव प्रतिवादीगण के पड़दादा से चली आ रही है उक्त भूमि संयुक्त परिवार, संयुक्त खाता की पैतृक सम्पति होने के कारण वादी एव प्रतिवादीगण सभी का प्रत्यंक इंच भूमि पर बराबर का हक, हिस्सा तथा कब्जा निहित है। वादी एव प्रतिवादीगण सभी अपने हिस्से अनुसार अच्छी मे से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि प्राप्त करने के बाराबर के हकदार व अधिकारी है वादी लालचवश बुरी नियत से बेईमानी पूर्वक आश्य रखते हुए अपने आप को फायदा पहुंचाने की नियत से मुख्य सड़क नेशनल हाईवे के साथ चिपती हुई बहुमूल्य कृषि भूमि को अन्य हिस्सेदार प्रतिवादीगण से हड़प कर उच्चे दामों में बेचना चाहता है इसलिए वादी दावा की मद संख्या 6 के अनुसार बंटवारा करवा कर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम भूमि दर्ज करवाने, खाता तकसीम करवाने तथा अलग लगान कायम करवाने का अधिकारी नहीं है। वाद पत्र की मद संख्या 11 में वर्णित तथ्य कानूनी है जवाब की आवश्यकता नहीं है। वादी कभी भी प्रतिवादीगण से नहीं मिला तथा ना ही कभी प्रतिवादीगण ने बंटवारा बाबत इंकार किया तो ऐसी सूरत में वाद पत्र वाद कारण के अभाव मे पेश किया है जो अन्दर अवधि में होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है इसलिए वादी का वाद खारिज योग्य है। वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष की उपमद क, ख, ग, घ अस्वीकार है वादी काफी पढ़ा लिखा, चतुर, चालाक वा लालची किस्म का व्यक्ति है तथा रिटायर टीचर है। वादी चक 2 डी छोटी के मु.न. 40 में पश्चिमी दिशा में चल रही मैन रोड नेशनल हाईवे संख्या 62 बाईपास के साथ चिपती अच्छी व अधिक उपजाऊ तथा बेशकीमति कृषि भूमि अपने लाभ व फायदे के लिए अनुचित तरीके से प्राप्त करना चाहता है जिसका वादी अधिकारी नहीं है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार व संयुक्त खाता की पैतृक सम्पत्ति है जिसमें प्रत्येक हिस्सेदार अच्छी में अच्छी बुरी में से बुरी कृषि भूमि प्राप्त करने का हकदार वा अधिकारी है इसलिए वादी दावा में चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है इसलिए वादी का दावा खारिज किये जाने योग्य है। प्रति-दावा (कांऊटर क्लेम)- प्रतिदावा (काऊटर क्लेम) एव दस्तावेजों के समर्थन में प्रतिवादी संख्या 3 का शपथ पत्र संलग्न है। प्रतिवादी संख्या 3 व 8 आपस में पिता-पुत्र है दावा में वर्णित भूमि वादी एव प्रतिवादीगण को दादा पड़दादा दौलाराम पुत्र श्री पचाराम। दौलाराम की मृत्यु के बाद उक्त वर्णित 11.700 से प्राप्त हुई है हैक्टर भूमि मृतक दौलाराम के तीनों पुत्रों भजनलाल, सहीराम व रामचन्द्र के हिस्सा में बराबर - बराबर आई थी वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 मृतक भजनलाल के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 मृतक रामचन्द्र के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 3,8 ता 12 मृतक सहीराम के वारिसान है इसलिए दावा में वर्णित कुल भूमि 11.700 हैक्टर में से मृतक सहीराम को 1/3 हिस्सा अर्थात 3.900 हैक्टर नहरी भूमि आई है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 3 व 8 उक्त [illegible] से 1/3 हिस्सा भूमि 3.900 हैक्टर मे प्रतिवादी संख्या 3 मांगी लाल का हि[illegible] हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 8 लोकेश कुमार का हिस्सा 1.300 हैक्टर [illegible] कृषि भूमि के हकदार हिस्सेदार काश्तकार है तथा बतौर मालिक [illegible] पत्र में कुल दर्ज भूमि वाले चक 2 डी छोटी तहसील [illegible] 71/68 के मु.न. 39 के किला नम्बर 1 ता 20 सालम कुल 5.060 हैक्टर नहरी, [illegible] नम्बर 21/1 में 0.127 हैक्टर, किला नम्बर 21 / 2 में 0.126 हैक्टर, गैरमुमकिन ढाणी, 22 ता 25 सालम 0.759

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kumar
Date: 2024.04.27 15:27:27 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

हैक्टर कुल 6.325 हैक्टर नहरी गै.मु. ढ़ाणी तथा गुरब्बा नम्बर 40 में किला नम्बर 1/1 में 0.063 हैक्टर, 2 ता 9 में 2.024 हैक्टर 10/1 में 0.063 हैक्टर 11/1 में 0.063 हैक्टर 12 ता 19 में 2.024 हैक्टर, 20/1 में 0.063 हैक्टर, 21/1 में 0.063 हैक्टर, 22 ता 25 में 1.012 हैक्टर नहरी कुल 5.375 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि अर्थात उपरोक्त वर्णित कुल रकबा 11.700 हैक्टर नहरी मय खाला गै.मु. ढ़ाणी मुश्तरका में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 के नाम दर्ज जमाबंदी खातेदारी सम्वत् 2068 से 2071 है । नकल शामिल वाद पत्र है उक्त भूमि संयुक्त खाता एव संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पति है जो वादी एव प्रतिवादीगण के दादा पडदादा से चली आ रही है। वाके चक 2 डी छोटी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 71 /68 के मु.न. 39 व 40 की संयुक्त खाता की पैतृक कुल भूमि 11.700 हैक्टर में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 3 व 8 (मांगीलाल व लोकेश कुमार) के पास मु.न. 39 के किला नम्बर 1 ता 5 सालम (1.265 हैक्टर) किला नम्बर 6 ता 10 में प्रत्येक में 0.169 हैक्टर (0.845 हैक्टर) कुल 2.110 हैक्टर नहरी भूमि एवम् मु.न. 40 के किला नम्बर 1/1 में 0.063 हैक्टर, किला नम्बर 2 ता 5 सालम (1.012 हैक्टर मय खाला) किला नम्बर 6 ता 9 प्रत्येक में 0.169 हैक्टर (0.676 हैक्टर) किला नम्बर 10 में 0.042 हैक्टर कुल 1.790 हैक्टर अर्थात दोनो मुरब्बो की कुल 3.900 हैक्टर मय खला नहरी खातेदारी अर्थात भूमि (मु.न. 39 व 40 की कुल भूमि 11.700 हैक्टर का तीसरा हिस्सा भूमि 3.900 हैक्टर जो उत्तर दिशा की साईड का तीसरा हिस्सा, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा 275 फुट चौड़ी व पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में दोनो मुरब्बो में लगभग 1527 फुट लम्बाई की भूमि का भाग) के कब्जा काश्त में है तथा हमेशा से ही काश्त करते चले आ रहे है जो प्रतिवादी संख्या 3 व 8 जो कि मृतक सहीराम पुत्र दौलाराम के वारिसान है तथा उक्त वर्णित मु.न. 39 व 40 की कुल 11.700 हैक्टर में से 1/3 हिस्सा अर्थात 3.900 हैक्टर भूमि के हकदार हिस्सेदार काश्तकार हैं इसलिए प्रतिवादी संख्या 3 व 8 अपनी घरू बंटवारा अनुसार प्राप्त उक्त वर्णित कब्जा काश्त की 3.900 हैक्टर भूमि नहरी मय खाला का अपने नाम से अलग खाता तकसीम करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादी संख्या 3 व 8 अपने घरू पारिवारिक बंटवारा अनुसार हिस्से में आई 3.900 हैक्टर नहरी भूमि पर हमेशा से ही काश्त करते आ रहे है तथा उक्त भूमि को काबिल काश्त बनाने में काफी खर्चा किया है । प्रतिवादी संख्या 3 व 8 को अपने हिस्से मे आई उक्त वर्णित भूमि पर काफी अर्सा से काश्त होने से स्नेह व प्यार हो गया इसलिए प्रतिवादी संख्या 3 व 8 को अपने हिस्से का खाता विभाजन करवाना जरूरी हो गया है संयुक्त खाता में भूमि के रहने के कारण रास्ता, खाला पानी, मामला लगान, मुआवजा आदि को लेकर आये दिन वादी एव प्रतिवादीगण के बीच मनमुटाव व लडाई झगड़ा होने का हमेशा अंदेशा रहता है । इसलिए प्रतिवादी संख्या 3 व 8 संयुक्त खाता की भूमि में से अपनी कब्जा काश्त अनुसार अपना हिस्सा 3.900 हैक्टर भूमि नय खाला का अलग खाता कायम करवाकर, अलग लगान कायम करवाकर खाला, रास्ता पानी प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 3 व 8 के कब्जा काश्त एव काऊंटर क्लेम अनुसार बंटवारा होता है तो दौलाराम के तीनों पुत्रों भजनलाल, सहीराम व रामचन्द्र के वारिसानों को बराबर–बराबर हिस्सा व हक अनुसार वादी एव प्रतिवादीगण सभी को अपना अपना हिस्सा बाईपास नेशनल हाईवे से चिपता मिल जायेगा तथा सभीके हिस्सा में खाला, रास्ता, सड़क भी आयेगी जिससे किसी भी पक्षकार को खाला रास्ता, सडक आदि की कोई परेशानी नहीं होगी तथा ना ही किसी पक्षकार को अलग से कोई रास्ता खाला देना पड़ेगा तथा ना ही किसी पक्षकार के बीच कोई मनमुटाव लड़ाई झगडा वाद विवाद खाला रास्ता को लेकर पैदा होगा काऊटर क्लेम अनुसार बंटवारा आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक हर प्रकार से उचित व न्यायोचित होगा तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार भी सही वा विधि सम्वत् है तथा इससे किसी भी पक्षकार को कोई नुकसान परेशानी या हानि नहीं होगी । प्रतिदावा (काऊटर क्लेम) अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र का है। यह जवाब प्रतिदावा (काऊटर क्लेम) उचित कोर्ट फीस पर पेश है ! लिहाजा जवाब दावा, प्रति दावा (काऊटर क्लेम) मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि वादी का वाद पत्र सव्यय खारिज फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 व 8 का प्रतिदावा (काऊटर क्लेम) स्वीकार किया जाकर निम्नलिखित डिक्री पारित की जावे:–

क–यह कि प्रतिवादी संख्या 3 व 8 के हक में खिलाफ वादी व शेष प्रतिवादीगण इस अमर का खाता विभाजन किया जावे कि वाके चक 2 डी छोटी तहसील श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 71/68 की संयुक्त पैतृक नहरी भूमि 11.700 हैक्टर में से प्रतिवादी संख्या 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kumari
Date: 2024.04.27 15:27:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

व 8 का 1/3 हिस्सा अर्थात मांगीलाल 2.600 हैक्टर, लोकेश कुमार 1.300 हैक्टर नहरी मय खाला कुल 3.900 हेक्टर हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि का अलग से खाता विभाजन प्रतिदावा (कांऊटर क्लेम) के पैरा संख्या 6 में दर्ज भूमि का कब्जा काश्त अनुसार खाता तकसीम किया जावे तथा खाला, रास्ता पानी दिलाया जावे।

ख –यह कि अन्य कोई अनुतोष प्रतिवादीगण संख्या 3 व 8 के हक में बनता हो तो वादी एव शेष प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

ग– यह कि प्रतिवादीगण संख्या 3 व 8 को वादी एव शेष प्रतिवादीगण से खर्चा मुक्दमा दिलाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार वाद पत्र की मद संख्या 2 स्वीकार है इस मद में वर्णित भूमि से कोई विरोध नहीं है। मद में दर्ज भूमि संयुक्त खाता की पैतृक सम्पत्ति है जो दादा पड़दादा से चली आ रही है। संयुक्त खाता की भूमि में प्रत्येक इंच पर सभी खातेदार काश्त कारान का बराबर–बराबर हक व हिस्सा होता है। वाद पत्र की मद संख्या 3 स्वीकार है कि चक 2 डी छोटी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 71/68 का कुल रकबा 11.700 हैक्टर दर्ज राजस्व रिकार्ड है। शेष मद में वर्णित तथ्य अस्वीकार है तथाकथित उपहार पत्र व नामान्तरण आदेश पत्रावली पर मौजूद नहीं है तथा ना ही प्रतिवादीगण को इसकी कोई जानकारी नहीं है। वाद पत्र की मद संख्या 4 में दर्ज तथ्यों से विरोध नहीं है उक्त भूमि पैतृक संयुक्त परिवार व संयुक्त परिवार व संयुक्त खाता की सम्पत्ति है तथा वादीएव प्रतिवादीगण के दादा पडदादा से चली आ रही है। वाद पत्र की मद संख्या 5 अस्वीकार है वादी एव प्रतिवादीगण सभी एक परिवार व वंश के सदस्य है। वंशवली का विवरण कांऊटर क्लेम में दर्ज है वादी रामकुमार एव प्रतिवादी संख्या 1 कृष्णलाल व 2 साहबराम तीनो आपस में सगे भाई है उक्त वर्णित भूमि में वादी एव प्रतिवादीगण सभी बराबर के हकदार हिस्सेदार है तो अकेले वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तीनों ही बंटवारा कैसे कर सकते है क्योकि रकबा पैतृक संयुक्त खाता का है तथा ना ही कभी कोई मौखिक बंटवारा हुआ है. वादी रामकुमार एव प्रतिवादी संख्या 1 कृष्णलाल व प्रतिवादी संख्या 2 साहबराम तीनों भाईयों ने मिलकर आपस में साजबाज करके षड़यंत्र रचकर अपने आप को फायदा पहुंचाने तथा शेष प्रतिवादीगण को नुकसान पहुंचाने की नियत से तथा कथित घरेलु बंटवारानामा दिनांक 14.11.2008 को तैयार किया है। इस बंटवारनामा में प्रतिवादी संख्या 3 ता 12 की कही कोई सहमति नहीं है तथा ना ही कही कोई हस्ताक्षर है तथा ना ही दावा दायर करने से पूर्व बंटवारनामा का ज्ञान था। चूंकि वादी रिटायर टीचर है जो काफी चालाक, चतुर व लालची किस्म का व्यक्ति है जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवं वादी तीनों भाई आपस में मिलकर शेष प्रतिवादीगण से अच्छी एव बेशकीमती भूमि हड़पना चाहते है । वादी के हिस्सा में चक 2 डी छोटी के मु.न. 40 के किला नम्बर 6,7,8 (0.10), 11(0.05), 12, 13, 14 (0.05) कुल 5 बीघा भूमि कभी भी बंटवारा में नहीं आई थी तथा इस भूमि पर वादी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा ना ही कभी कोई बंटवारा प्रतिवादी संख्या 3 ता 12 के साथ वादी का हुआ है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तीनों भाईयों ने आपस में मिलकर प्रतिवादी संख्या 3 ता 12 को बिना बताये गुपचुप तरीके से तथाकथित बंटवारानामा तैयार किया है जबकि बंटवारानामा में दर्ज भूमि संयुक्त खाता की पैतृक सम्पति है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 12 इस भूमि के बराबर के हकदार हिस्सेदार है इसलिए तथाकथित बंटवरानामा दिनांक 14.11.2008 प्रतिवादी संख्या 3 ता 12 के हक व हितों पर निष्प्रभावी एव शून्य तथा विधि विरूद्व है इसलिए इस बंटवारानामा को वाद पत्र का आधार नहीं माना जा सकता है संयुक्त खाता की पैतृक सम्पति का बंटवारानामा करने के लिए सभी खातेदार हिस्सेदारान की सहमति कानूनन आवश्यक होती है वादी ने दावा में तथ्य मिथ्या व निराधार दर्ज किये है दावा में वर्णित भूमि संयुक्त खाता की पैतृक सम्पति है जिसमें प्रत्येक हिस्सेदार की हक, हिस्सा [illegible] निहित है वादी शेष प्रतिवादीगण के साथ विधिक बंटवारा किये बिना अपने [illegible] से [illegible] बीघा वाईज घोषणा करवाने तथा राजस्व रिकार्ड में भूमि अलग दर्ज [illegible] वाद पत्र की मद संख्या 6 अस्वीकार है चक 2 डी छोटी के मु.न. 39 व 40 की दावा में दर्ज भूमि कालूवाला साधुवाली बाईपास न. 40 की भूमि बेशकीमति भूमि है तथा मु.न. 39 की भूमि हाईवे से दूर होने के कारण कम कीमत की भूमि है वादी ने इस मद में तथ्य झूठे मिथ्या एव

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 15:27:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

निराधार दर्ज किये है । वादी का मु.न. 40 के किला नम्बर 7,8,11,12,13 व 14 की कुल भूमि 1.047 हैक्टर हिस्सा पर वादी का मौका पर कब्जा काश्त नहीं है तथा ना ही कभी रहा है। मु.न. 39 व 40 की वर्णित भूमि संयुक्त खाता, संयुक्त स्वामित्व की पैतृक भूमि है जो दादा पड़दादा से चली आ रही है इसलिए इस भूमि में प्रत्येक खातेदार हिस्सेदार का प्रत्येक इंच पर हक, हिस्सा व कब्जा निहित होता है इसलिए वादी इस मद में दर्ज रकबे अनुसार अपने नाम अलग बीघा बाईज घोषणा करवाने तथा राजस्व रिकार्ड में अलग बीघा बाईज हिस्सा दर्ज करवाने का अधिकारी नहीं है तथा ना ही वादी इस मद अनुसार बंटवारा करवाने का अधिकारी है । इसलिए वादी का दावा खारिज किये जाने योग्य है। वाद पत्र की मद संख्या 7 में वर्णित तथ्य जिस तरह से दर्ज किये है झूठे, मनघड़त व निराधार होने के कारण स्वीकार नहीं है वादी प्रतिवादीगण के साथ कानूनन बंटवारा व सहमति किये बिना वादी अकेला ही संयुक्त खाता की पैतृक भूमि में से अपनी इच्छानुसार हिस्सा कैसे प्राप्त कर सकता है । वादी रिटायर टीचर है जो काफी चालाक, चतुर व लालची किस्म का व्यक्ति है जो नेशनल हाईवे के साथ चिपती बेशकीमति भूमि अकेले अपने नाम दर्ज करवाकर हड़पना चाहता है वादी अपने हिस्से अनुसार दर्ज भूमि की घोषणा करवाने, राजस्व रिकार्ड में अलग बीघा बाईज दर्ज करवाने, बंटवारा करवाने का अधिकारी नहीं है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 वादी के तथ्यों से सहमत नहीं है प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 अपना अलग से प्रतिदावा (काऊंटर क्लेम) पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र की मद संख्या 8 में वर्णित तथ्य झूठे, मिथ्या, मनगढ़त व निराधार होने के कारण स्वीकार नहीं है । वादी ने उक्त वर्णित संयुक्त खाता की मैतृक कृषि भूमि का बंटवारा करने तथा अलग–अलग खाता तकसीम करवाने के लिए प्रतिवादीगण को कभी भी नहीं कहा था । वादी को प्रतिवादीगण के खिलाफ वाद कारण ही उपलब्ध नहीं इसलिए वाद कारण के अभाव में वादी का दावा खारिज योग्य है। वाद पत्र की मद संख्या 9 अस्वीकार है दावा की मद संख्या 6 में वर्णित भूमि वादी को प्रतिवादीगण से बंटवारा में कभी भी प्राप्त नहीं हुई है तथा ना ही इस भूमि पर वादी का कभी कब्जा काश्त रहा है उक्त भूमि संयुक्त परिवार व संयुक्त खाता की पैतृक सम्पति है इस भूमि में वादी एव प्रतिवादीगण सभी का प्रत्येक इंच भूमि पर बराबर का हक व हिस्सा तथा कब्जा निहित है वादी अपने फायदे के लिए नेशनल हाईवे के साथ चिपति हुई बहुमूल्य कृषि भूमि को अन्य हिस्सेदारों से हड़प कर उच्चे दामों पर बेचना चाहता है इसलिए वादी दावा की मद संख्या 6 के अनुसार बंटवारा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवाने तथा अलग लगान कायम करवाने का अधिकारी नहीं है । वाद पत्र की मद संख्या 12 में वर्णित तथ्य कि वाद अदालतवाला के क्षेत्राधिकार व श्रवणधिकार का है से विरोध नहीं है परन्तु वादी कभी भी प्रतिवादीगण से नहीं मिला तथा ना ही कभी प्रतिवादीगण ने बंटवारा बाबत इंकार किया तो ऐसी सूरत में वाद पत्र वाद कारण के अभाव मे पेश किया है जो अन्दर अवधि में होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है इसलिए वादी का वाद खारिज योग्य है। वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष की उपमद क, ख, ग, घ अस्वीकार है वादी काफी पढ़ा लिखा, चतुर, चालाक वा लालची किस्म का व्यक्ति है तथा रिटायर टीचर है। वादी चक 2 डी छोटी के मु.न. 40 में पश्चिमी दिशा में चल रही मैन रोड़ नेशनल हाईवे संख्या 62 बाईपास के साथ चिपती अच्छी व अधिक उपजाऊ तथा बेशकीमति कृषि भूमि अपने लाभ व फायदे के लिए अनुचित तरीके से प्राप्त करना चाहता है जिसका वादी अधिकारी नहीं है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार व संयुक्त खाता की पैतृक सम्पत्ति है जिसमें प्रत्येक हिस्सेदार अच्छी में से अच्छी बुरी में से बुरी कृषि भूमि प्राप्त करने का हकदार वा अधिकारी है इसलिए वादी दावा में चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है इसलिए वादी का दावा खारिज किये जाने योग्य है। प्रति–दावा (कांऊटर क्लेम) प्रतिवादीगण 4 ता 7 का स्थाई पता वाद पत्र के शीर्षक में दर्ज है वही है। जवाब दावा मय प्रतिदावा (काऊंटर क्लेम) समर्थन एव दस्तावेजों के समर्थन में प्रतिवादी संख्या 4 का शपथ पत्र संलग्न है । उक्त वर्णित भूमि वादी एव प्रतिवादीगण को दादा पड़दादा दौलाराम पुत्र श्रीपन्नाराम ... हुई है दौलाराम की मृत्यु के बादउक्त भूमि दौलाराम के तीनों पुत्रों भजनलाल, ...राम, रामचन्द्र के हिस्सा में बराबर दृ बराबर आई है । वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ... के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 मृतक रामचन्द्र के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 3, 8 ता 12 मृतक सहीराम के वारिसान है इसलिए प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 ... वर्णित कुल भूमि 11.700 हैक्टर में से 1/3 हिस्सा 3.900 हैक्टर भूमि में विजयपाल 1.300 हैक्टर, दिनेश कुमार 1.300

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeenu Kulhari
Date: 2024.04.27 15:27:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

हैक्टर, अभिनेत्र 0.975 हैक्टर व सुमन 0.325 हैक्टर कृषि भूमि के हकदार, काश्तकार व हिस्सेदार है । वाद पत्र में कुल दर्ज भूमि वाके चक 2 डी छोटी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 71/68 के मु.न. 39 के किला नम्बर 1 ता 20 सालम कुल 5.060 हैक्टर नहरी, किला नम्बर 21 / 1 में 0.127 हैक्टर, किला नम्बर 21 / 2 में 0.126 हैक्टर, गैरमुमकिन ढ़ाणी, 22 ता 25 सालम 0.759 हैक्टर कुल 6.325 हैक्टर नहरी गै.मु. ढाणी तथा मुरब्बा नम्बर 40 में किला नम्बर 1/1 में 0.063 हैक्टर, 2 ता 9 में 2.024 हैक्टर 10/1 में 0.063 हैक्टर 11/1 में 0.063 हैक्टर 12 ता 19 में 2.024 हैक्टर, 20/1 में 0.063 हैक्टर, 21/1 में 0.063 हैक्टर 22 ता 25 में 1.012 हैक्टर नहरी कुल 5.375 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि अर्थात उपरोक्त वर्णित कुल रकबा 11.700 हैक्टर नहरी मय खाला गै.म. ढ़ाणी मुश्तरका में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 के नाम दर्ज जमाबन्दी खातेदारी सम्वत् 2068 से 2071 हैंनकल शामिल वाद पत्र है। उक्त भूमि संयुक्त खाता एव संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पति है जो वादी एव प्रतिवादीगण के दादा पड़दादा से चली आ रही है। वाके चक 2 डी छोटी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 71/68 की संयुक्त पैतृक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 (विजयपाल, दिनेश कुमार, अभिनेत्र, सुमन) के पास मु.न. 39 में किला नम्बर 6 ता 10 प्रत्येक में 0.084 हैक्टर, किला नम्बर 11 ता 15 सालम, किला नम्बर 16 ता 20 प्रत्येक में 0. 085 हैक्टर कुल 2.110 हैक्टर तथा मु.न. 40 के किला नम्बर 6 ता 9 प्रत्येक में 0.084 हैक्टर किला नम्बर 10 में 0.021 हैक्टर किला नम्बर 11 में 0.063 हैक्टर, किला नम्बर 12 ता 15 सालम किला नम्बर 16 ता 19 प्रत्येक में 0.084 हैक्टर किला नम्बर 20 में 0.022 हैक्टर कुल 1.790 हैक्टर अर्थात दोनो मुरब्बो की कुल 3.900 हैक्टर मय खाला नहरी खातेदारी भूमि अर्थात (मु.न. 39 व 40 के बीच का तीसरा हिस्सा उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा 275 फुट चौडी व पूर्व से पश्चिम दिशा में दोनो मुरब्बो में लगभग 1527 फुट लम्बाई की भूमि) कब्जा काश्त में है तथा हमेशा से ही काश्त करते चले आ रहे है और प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 जो कि रामचन्द्र पुत्र दौलाराम के वारिसान है तथा उक्त वर्णित मु.न. 39 व 40 की कुल भूमि में से 1/3 हिस्सा के हकदार काश्तकार है इसलिए अपनी उक्त वर्णित कब्जा काश्त की 3.900 हैक्टर भूमि का अपने नाम से अलग खाता विभाजन करवाना चाहते है । प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 7 अपने घरेलु बंटवारा अनुसार प्राप्त हिस्से की उक्त वर्णित भूमि पर हमेशा से ही काश्त करते आ रहे है तथा उक्त भूमि को काबिल काश्त बनाने में काफी खर्चा किया है प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 7 को अपने उक्त वर्णित हिस्से की भूमि पर काफी अर्सा से काश्त होने से स्नेह व प्यार हो गया है इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 7 को अपने हिस्से का खाता विभाजन करवाना जरूरी हो गया है। संयुक्त खाता में भूमि के रहने के कारण रास्ता, खाला, पानी,मामला,लगान, मुआवजा आदि को लेकर आये दिन वादी एव प्रतिवादीगण के बीच मनमुटाव होता रहता है । इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 7 संयुक्त खाता की भूमि में से अपनी कब्जा काश्त के अनुसार अलग खाता कायम करवाकर, अलग लगान कायम करवाकर खाला रास्ता पानी प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 7 के कब्जा काश्त एव काऊटर क्लेम अनुसार बंटवारा होता है तो दौलाराम के तीनों पुत्रों भजनलाल, सहीराम व रामचन्द्र के वारिसानों को बराबर–बराबर हिस्सा व हक अनुसार सभी वादी एव प्रतिवादीगण को अपना अपना हिस्सा बाईपास नेशनल हाईवे से चिपता मिल जायेगा तथा सभी के हिस्सा में खाला, रास्ता, सड़क भी आयेगी जिससे किसी भी पक्षकार को खाला, रास्ता, सड़क आदि की कोई परेशानी नहीं होगी तथा ना ही किसी पक्षकारकोअलग से कोई रास्ता, खाला देना पडेगा तथा ना ही किसी पक्षकार के बीच कोई मनमुटाव लड़ाई झगड़ा याद व विवाद खाला रास्ता को लेकर पैदा होगा। काऊटर क्लेम अनुसार बंटवारा आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक हर प्रकार से उचित व न्यायोचित होगा तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार भी सही वा विधि सम्पत है तथा इससे किसी भी पक्षकार को कोई नुकसान परेशानी [illegible] नहीं होगी । प्रतिदावा (काऊटर क्लेम) अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र का है। प्रतिदावा (काऊट[illegible] उचित कोर्ट फीस पर पेश है। लिहाजा जवाब दावा वाद पत्र मय [illegible] (पेश कर अर्ज है कि वादी का वाद पत्र सव्यय खारिज फरम[illegible] का प्रतिदावा (काऊटर क्लेम) स्वीकार किया जाकर निम्नलिखित [illegible] किया जावे :–

क– यह कि प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 के हक में खिलाफ [illegible] एव प्रतिवादीगण इस अमर का खाता विभाजन किया जावे कि वाके चक 2 डी छोटी तहसील श्रीगंगानगर के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 15:27:27 IST
Reason: SelfAttested

[?]खण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

संयुक्त खाता संख्या 71 /68 की संयुक्त पैतृक भूमि 11.700 हैक्टर में से प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 का 1/3 हिस्सा अर्थात विजयपाल 1.300 हैक्टर, दिनेश कुमार 1.300 हैक्टर, अभिनैत्र 0.975 हैक्टर, सुमन 0.325 हैक्टर नहरी भूमि मय खाला कुल 3.900 हैक्टर हिस्सा खातेदारी नहरी कृषि भूमि का अलग से खाता विभाजन प्रतिदावा (काऊटर क्लेम) के पैरा संख्या 6 में दर्ज भूमि कब्जा काश्त अनुसार तकसीम किया जावे तथा रास्ता, खाला पानी दिलाया जावे।

ख — यह कि अन्य कोई अनुतोष प्रतिवादीगण संख्या 4 त 7 के हक में बनता हो तो वादी एव शेष प्रतिवादीगण स दिलाया जावे।

ग— यह कि प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 7 को वादी एव शेष प्रतिवादीगण से खर्चा मुक्दमा दिलाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/3 की ओर से जवाब दावा मय काउंटरक्लेम पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार प्रतिवादीगण संख्या 1/1, 1/2, 1/3 का पता भी वही है जो वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है। इस मद में अंकित भूमि का यदि वादी को खातेदार घोषित किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/3 को कोई आपत्ति नहीं है। मगर साथ ही यह भी निवेदन है कि संयुक्त खाता की वादग्रस्त आराजी वाके चक 2 डी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का वर्तमान खाता संख्या 16/71 (तत्कालीन खाता संख्या 71/68) के मुरब्बा नम्बर 39 व 40 की कुल 11.700 हैक्टेयर नहरी मय खाला मय गै. मु. ढाणी भूमि में से प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/3 तीनों के नाम से कुल 1.047 हैक्टेयर भूमि संयुक्त खाता में दर्ज कागजात माल है तथा पारस्परिक सहमति से घरू बंटवारा के अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/3 के कब्जा काश्त में अर्सा दराज से उक्त कुल भूमि में से मुरब्बा नम्बर 40 का किला नम्बर 16/1 की 0.228 है0 नहरी, 16/2 की 0.025 है0 खाला, 17 की 0.036 है0 (पूर्वी हिस्सा), 21/1 की 0.063 है0, 22, 23, 24 की 0.759 है0, 25/1 की 0.228 है0 नहरी, 25/2 की 0.025 है0 खाला = 1.364 है0 नहरी मय खाला तथा मुरब्बा नम्बर 30 के किल नम्बर 21 की 0.021 है० (पूर्व—दक्षिण हिस्सा) इस प्रकार कुल 1.427 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि मय पानी बारी शांतिपूर्वक चली आ रही है। जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/3 पिछले काफी लम्बे समय से काबिज चले आ रहें है तथा शांतिपूर्वक काश्त कर रहें हैं तथा मौका पर प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/3 की फसले खड़ी हैं। इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 1 / 1 से 1/3 अपने हिस्से की कब्जा काश्त की उक्त वर्णित भूमि की खातेदारी अधिकारों की घोषणा अपने हक करवाने व भूमि का बंटवारा करवा कर रकबा किलावाईज भूमि अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। जिसके लिए प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/3 द्वारा काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जा रहा है। 7. यह कि वाद पत्र की मद संख्या 7 से कोई विरोध नहीं है ।काउन्टर क्लेम— प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/3 का पता वही है जो वाद पत्र के शीर्षक के में अंकित है । यह काउन्टर क्लेम मय शपथ पत्र 2 प्रतियों में प्रस्तुत किया जा रहा है । वाद पत्र में दर्ज भूमि वाके चक 2 डी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का वर्तमान खाता संख्या 16/71 (तत्कालीन खाता संख्या 71/68) के मुरब्बा नम्बर 39 व 40 की कुल 11.700 हैक्टेयर नहरी मय खाला मय गै.मु. ढाणी भूमि में से प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/3 तीनों के नाम से कुल 1.047 हैक्टेयर भूमि संयुक्त खाता में दर्ज कागजात माल है तथा पारस्परिक सहमति से घरू बंटवारा के अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/3 के कब्जा काश्त में अर्सा दराज से उक्त कुल भूमि में से मुरब्बा नम्बर 40 का किला नम्बर 16/1 की 0.228 है0 नहरी, 16/2 की 0.025 है0 खाला, 17 की 0.036 है० (पूर्वी हिस्सा), 21/1 की 0.063 है0, 22, 23, 24 की 0.759 है0, 25/1 की 0.228 है0 नहरी, 25 / 2 की 0.025 है0 खाला = 1.364 है० नहरी मय खाला तथा मुरब्बा नम्बर 3... की 0.021 है० (पूर्व—दक्षिण हिस्सा) इस प्रकार कुल 1.427 हैक्टेयर नहरी मय खाला ... मय पानी बारी शांतिपूर्वक चली आ रही है। जिस पर प्रतिवादीगण ... काफी लम्बे समय से काबिज चले आ रहें है तथा शांतिपूर्वक काश्त ... प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/3 की फसले खड़ी हैं। प्रतिवादीगण संख्या ... 1/3 ने अपने हक वा हिस्सा के रकबा में काफी रूपया खर्च करके व अथक मे... करके रकबा को उपजाउ बनाया है। मगर उक्त रकबा संयुक्त खातेदारी होने के कारण रास्ता, खाला, पानी, लगान

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 15:27:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

आदि को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 / 1 से 1/3 विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने से भी वंचित रह जाते हैं। इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/3 अपने हिस्से की कब्जा काश्त की उक्त वर्णित भूमि की खातेदारी अधिकारों की घोषणा अपने हक करवाने व भूमि का बंटवारा करवा कर रकबा किलावाईज भूमि अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। काउन्टर क्लेम माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है तथा उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है । अतः जवाब वाद पत्र मय शपथ मय काउन्टर क्लेम मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र वादी स्वीकार किए जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/3 को वादग्रस्त आराजी में से चक 2 डी छोटी के मुरब्बा नम्बर 40 का किला नम्बर 16/1 की 0.228 है० नहरी, 16/2 की 0.025 है0 खाला, 17 की 0.036 है० (पूर्वी हिस्सा), 21/1 की 0.063 है0, 22, 23, 24 की 0.759 है0, 25/1 की 0.228 है0 नहरी, 25 / 2 की 0.025 है० खाला = 1.364 है0 नहरी मय खाला तथा मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 21 की 0.021 है० (पूर्व–दक्षिण हिस्सा) इस प्रकार कुल 1.427 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त रकबा प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/3 के नाम से किलावाईज अंकित करवाया जावे तथा अलग लगान कायम किया जावे।

वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या– 3 व 8 की ओर से प्रस्तुत प्रतिदावा (काउटर क्लेम) का जवाब पेश किया जिसमें अंकित तथ्यानुसार प्रतिदावा(कांउटर क्लेम) की मद सं0–1 से कोई विरोध नहीं है। यह कि प्रतिदावा (कांउटर क्लेम) की मद सं0–2 से कोई विरोध नही है। यह कि प्रतिदावा (कांउटर क्लेम) की मद सं0–3 से कोई विरोध नही है। प्रतिदावा (कांउटर क्लेम) की मद सं.–4 का सिद्विभार प्रतिवादी का है। प्रतिदावा(कांउटर क्लेंम) की मद सं. 5का सिद्विभार प्रतिवादी का है। यह कि प्रतिदावा (कांउटर क्लेम) की मद सं0–6 में दर्ज तथ्य प्रतिवादी संख्या–3 व 8 के पास मु. नं.– 39मे किला नम्बर 1 ता 5 (1.265 है.) किला नं. – 6ता (0 में प्रत्येक में .1 69 (0.845 हैक्टर) कुल 2.110है. तथा मु.नं. 40 के किला नम्बर ! ता 5,9,10 के रकबा से कोई किसी प्रकार का विरोध नही है शेष तथ्य मनघड़त एवं निराधार होने के कारण अस्वीकार है क्योंकि वास्तविकता यह है कि चक 2 डी छोटी के मुरबा नं.40 में 0–40–7(253),8(.039),11/1 (.063),12–13(0.506), 14 (186) कुल रकबा 1.047है0 नहरी भूमि का कब्जा वादी के पास घरेलू बंटवार बिना किसी रूकावट के लगातार कब्जा पुराना चला आ रहा है तथा वादी ने मु.नं. – 40 में स्थित अपने कब्जा के रकबा पर काफी खर्चा करके भूमि को बड़ी मुश्किल से उपजाउ बनाया है तथा इसी आधार पर मुरबा नं. 40 में कि0नं0–7 (253),8(.039),11/1 (063) 12 – 13 (0.506),14 (186) का रकबा 1.047है0 नहरी भूमि का वादी को खातेदार घोषित कर दावानुसार खाता तकसीम किया जावे इस हद तक प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम खारिज फरमाया जावे। प्रतिदावा(कांउटर क्लेंम) की मद सं0–7 में जिस प्रकार से मनघडण्त तथ्यो का कथन करते हुए दर्ज करवाया है अस्वीकार है मु.नं.–40 के वादी के कब्जाकाश्त के उक्त रकबा पर काफी खर्चा करके भूमि को उपजाउ बनाया है इसलिए उक्त वर्णित मुरबा न.–40 में किला नं.7(.253), 8(.039), 11/1(0.063), 12–13(0.506), 14(0.186) का रकबा 1.047 है0 नहरी भूमि का वादी को खातेदार घोषित कर दावानुसार खाता तकसीम किया जाकर प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम वादी के कब्जाकाश्त रकबा के हद तक खारिज फरमाया जावे। प्रतिदावा (कांउटर क्लेम) की मद सं0–8 जिस प्रकार से मनघड़त तथ्य दर्ज किये है अस्वीकार है इसलिए प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम वादी के कब्जाकाश्त रकबा के हद तक काबिले खारिज है। प्रतिदावा (कांउटर क्लेम) की मद सं0–9 कानूनी है जवाब की आवश्यकता नही है । प्रतिदावा (कांउटर क्लेंम) की मद सं0–10 कानूनी है जवाब की आवश्यकता नहीं है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा स्वीकार कर प्रतिवादीगण का प्रतिदावा (कांउटर क्लेम) खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 15:27:27 IST
Reason: SelfAttested

वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या–4ता 7 की ओर से प्रस्तुत प्रतिदावा (काउटर क्लेम) का जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार प्रतिदावा (कांउटर क्लेंम) की मद सं0–1 से कोई विरोध नही है। यह कि प्रतिदावा (कांउटर क्लेम) की मद सं0–2 से कोई विरोध

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

नही है। यह कि प्रतिदावा (कांउटर क्लेंम) की मद सं0–3 से कोई विरोध नही है। प्रतिदावा(कांउटर क्लेम) की मद सं–4 का सिद्विभार प्रतिवादी का है। प्रतिदावा (कांउटर क्लेम) की मद सं. 5का सिद्विभार प्रतिवादी का है। प्रतिदावा (कांउटर क्लेंम) की मद सं0–6 में दर्ज तथ्य प्रतिवादी संख्या– 4 ता 7 के पास मु.नं. – 39 मे किला नम्बर 6 ता 10 प्रत्येक में 0.084 हैक्टर, किला नम्बर 11 ता 15 सालम, किला नम्बर 16 ता 20 प्रत्येक में. 085 है. कुल 2.110 हैक्टर तथा मु.नं. 40 के किला नम्बर 6,9,10 तथा किला नं. 15 के रकबा से कोई किसी प्रकार का विरोध नही है अगर शेष तथ्य मनघड़त एवं निराधार होने के कारण अस्वीकार है क्योंकि वास्तविकता यह है कि चक 2 डी छोटी के मुरबा नं.40 में कि0नं0 – 7 (253),8(.039) ,11/1(0.063), 12–13 (0.506), 14(0.186) कुल रकबा 10.470 नहरी भूमि का कब्जा वादी के पास घरेलू बंटवारा बिना किसी रूकावट के लगातार कब्जा पुराना चला आ रहा है तथा वादी ने मु.नं. – 40 में स्थित अपने कब्जा के रकबा पर काफी खर्चा करके भूमि को बड़ी मुश्किल से उपजाउ बनाया है तथा इसी आधार पर मुरबा नं.40 में किला नं.7 (0.253), 8(0.039), 11/1(0.063), 12–13(0.506).14 (0.136) का रकबा 1.047 है0 नहरी भूमि का वादी को खातेदार घोषित कर दावानुसार खाता तकसीम किया जावे इस हद तक प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम खारिज फरमाया जावे। प्रतिदावा(कांउटर क्लेम) की मद सं0–7 में जिस प्रकार से मनघड़त तथ्यो का कथन करते हुए दर्ज करवाया है अस्वीकार है मु. नं. – 40 के वादी के कब्जाकाश्त. के उक्त रकबा पर काफी खर्चा करके भूमि को उपजाउ बनाया है इसलिए उक्त वर्णित मुरबा नं. 10 के किला नं.–7(0.253), 8(.0.039), 11/1(0.063),12–13(0.506).14(0.186) का रकबा 1.047 है0 नहरी भूमि का वादी को खातेदार घोषित कर दावानुसार खाता तकसीम किया जाकर प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेंम वादी के कब्जाकाश्त रकबा के हद तक खारिज फरमाया जावे। प्रतिदावा (कांउटर क्लेम) की मद सं0–8 जिस प्रकार से मनघड़त तथ्य दर्ज किये है अस्वीकार है इसलिए प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम वादी के कब्जाकाश्त रकबा के हद तक काबिले खारिज है। प्रतिदावा (कांउटर क्लेम) की मद सं0–9 कानूनी है जवाब की आवश्यकता नही है। प्रतिदावा (कांउटर क्लेम) की मद सं0–10 कानूनी है जवाब की आवश्यकता नही है । अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा स्वीकार कर प्रतिवादीगण का प्रतिदावा (कांउटर क्लेंम) खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष द्वारा निवेदन किया गया प्रकरण में तहसीलदार श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद डिक्री किया जावे। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्रस्ताव मंगवाये जाने बाबत सहमति जताई गई। वादी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखीय दस्तावेजात एवं जमाबंदी सम्वत 2068–2071 चक 2 डी छोटी, पटवार हल्का साधुवाली, भू.अ.नि.क्षेत्र. शिवपुर खाता संख्या 71/68 का अवलोकन किया गया। मुतातिबक जमाबंदी वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाता की आराजी है। वादी एवं प्रतिवादी के मध्य प्रस्ताव मंगवाये जाने बाबत आपसी सहमति है। अतः वाद वादी एवं काउंटरक्लेम प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/3, 3 व 8 खाता विभाजन करवाने एवम् खातेदार घोषणा करवाने के अधिकारी हैं। अतः वाद वादी एवं काउंटरक्लेम प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/3, 3 व 8 प्राथमिक रूप से स्वीकार योग्य पाया गया। वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाता की आराजी होने से वादीगण अपना खाता विभाजन करवाने के अधिकारी पाये जाने पर वाद वादी एवं काउंटरक्लेम प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/3, 3 व 8 प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण में जरिए कमांक/भू.अ./3592 दिनांक 29.11.2023 के विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव कमांक/भू.अ./3592 दिनांक 29.11.2023 पर आपत्ति ... करते हुए तहसीलदार श्रीगंगानगर से वादग्रस्त आराजी का अच्छी से अच्छी व माडी से माडी का प्रस्ताव मंगवाये जाने का निवेदन करने पर तहसीलदार श्रीगंगानगर से जरिये ... 860 दिनांक 27.12.2023 के वादग्रस्त आराजी का अच्छी में से अच्छी एवं माडी से माडी (Meets and bounds) के आधार पर तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्रस्ताव मंगवाया गया है। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा जरिए कमांक भू.अ./2024/05 दिनांक 02.01.2024 के वादग्रस्त आराजी का अच्छी में से अच्छी एवं माडी से माडी (Meets and bounds) के आधार पर विभाजन

उपखण्ड अभिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 15:27:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव प्रेषित किया गया। प्रकरण में चूंकि तहसीलदार श्रीगंगानगर से वादी एवं प्रतिवादीगण की भूमि का हिस्सा व कब्जा अनुसार एवं वादग्रस्त आराजी का अच्छी में से अच्छी एवं माडी से माडी (Meets and bounds) के आधार पर तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्रस्ताव मंगवाया जा चुका है, प्रकरण का निर्णय दोनो प्रकार के प्रस्ताव के आधार पर किया जाना संभव नहीं है। इस कारण प्रकरण के न्यायनिर्णय हेतु तहसीलदार श्रीगंगानगर से वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में मौका पर काब्जा काश्त एवं वस्तुस्थिति की रिपोर्ट जरिए कमांक 1012 दिनांक 02.02.2024 को तलब की गई। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा जरिए कमांक 553 दिनांक 06.02.2024 के रिपोर्ट प्रेषित की गई।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादी की मुख्य बहस यह रही कि प्रकरण में तहसीलदार श्रीगंगागनर द्वारा हिस्सा एवम् कब्जा काश्त के अनुसार जो प्रस्ताव भिजवाया गया है उसी अनुरूप वाद में अन्तिम डिकी की जावे। प्रकरण में अच्छी से अच्छी व माडी से माडी (Meets and bounds) के आधार पर डिकी पारित न की जावे। वादी का वादग्रस्त आराजी पर लगभग 40–50 वर्षों से काब्जि काश्त है। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 06.02.2024 में भी उक्त तथ्य का जिक किया है एवं मौका एवं वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मौका पर जाकर बनाई गई है। अतः वाद का निर्णय तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 06.02.2024 के अनुसार किया जाता है तो भी वादीगण को किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है। वकील प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/3 द्वारा बहस में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद हिस्सा व कब्जा अनुसार स्वीकार किये जाने बाबत सहमति जाहिर की गई। वकील प्रतिवदी 3 ता 6 द्वारा बहस नहीं की गई। शेष प्रतिवादी संख्या 2, 7 व 8 के वकील उभयपक्ष को बहस हेतु आवाजे लगवाई गई किन्तु बहस हेतु उपस्थित नहीं।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार श्रीगंगानगर से वादी एवं प्रतिवादीगण की सहमति से हिस्सा व कब्जाकश्त अनुसार एवं अच्छी से अच्छी व माडी से माडी (Meets and bounds) के हिसाब से प्रस्ताव मंगवाया जा चुका है।प्रकरण में प्राप्त दोनों प्रस्तावों के आधार पर निर्णय किया जाना संभव नहीं है। प्रकरण का निर्णय गुणावगुण के आधार पर व मौका एवम् वस्तुस्थिति के आधार पर न्यायालय द्वारा किया जाना है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव दिनांक 29.11.2023 एवम् दिनांक 02.01.2024 का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 06.02.204 का अवलोकन किया गया। वाद के निर्णय के सम्बन्ध में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य वादग्रस्त आराजी का विभाजन अच्छी से अच्छी व माडी से माडी (Meets and bounds) भूमि के अनुसार अथवा हिस्सा व कब्जा काश्त अनुसार किये जाने बाबत मतभेद है। ऐसी परिस्थिति में वाद का न्यायनिर्णन न्यायालय द्वारा किया जाना है। प्रकरण में अच्छी से अच्छी व माडी से माडी (Meets and bounds) का पैरामीटर भूमि के सिंचाई स्रोत मौघे से होता है और वादग्रस्त आराजी सिंचाई स्रोत मौघे के साथ न होकर वादग्रस्त आराजी का कुछ हिस्सा सड़क (एन. एच.62)के पास होने से वादग्रस्त आराजी पर सिंचाई व्यवस्था का कोई प्रभाव नहीं है। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 06.02.2024 में भी वादग्रस्त आराजी में ढाणियां व समाधीयां बनी हुई है एवम् मौका पर रास्ता चालू है, वादीगण लगभग 40–50 वर्षों से ढाणियां बना कर काब्जि हैं। यदि अच्छी से अच्छी व माडी से माडी (Meets and bounds) के अनुसार वाद का निर्णय [illegible] दोनों पक्षों को ढाणियां, रास्ता, समाधी, टयूबेल एवम् 40–50 वर्ष पूर्व से चली आ रही व्य[illegible]ट होने का ना पूरा होने वाला नुकसान होगा और न ही वाद का [illegible] परिस्थिति में वादग्रस्त आराजी का विभाजन अच्छी से अच्छी व [illegible] bounds) के आधार पर किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं [illegible] न्यायनिर्णय तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित मौका एवं वस्तुत स्थिति की रिपोर्ट दि[illegible] 06.02.2024 के आधार पर किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 15:27:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

।। आदेश ।।

अतः वादी एवम् प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है :–

क्र.सं.	खातेदार का नाम	रकबा का विवरण
1	इन्द्रजीत, कुलदीप, सुनिल पिसरान कृष्ण लाल का हिस्सा	मुरब्बा नम्बर 40 किला नम्बर 16(0.1561), 17(0.1560), 18(0.0122), 19(0.0122), 20(0.0030), 21(0.0585), 22(0.2347), 23(0.2347), 24(0.2347), 25(0.2347) व मुरब्बा नम्बर 39 किला नम्बर 21(0.0632) कुल 1.4000 हैo व मुरब्बा नम्बर 39 किला नम्बर 21 में ढाणी निर्मित व मुरब्बा नम्बर 40 किला नम्बर 21 में ढाणी निर्मित, एक टयूबवैल व समाधिया बनी है।
	साहब राम पुत्र श्री भजन लाल का हिस्सा	मुरब्बा नम्बर 40 किला नम्बर 6(0.0410), 7(0.0410), 11(0.0015), 12(0.0061), 13(0.0061), 14(0.2530), 15(0.2530), 16(0.0969), 17(0.0969), 18(0.2408), 19(0.2408), 20(0.0600) कुल 1.3371 हैo कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 39 किला नम्बर 21(0.0632) कुल 1.4003 हैo कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 39 किला नम्बर 21 में ढाणी निर्मित है।
	रामकुमार पुत्र श्री भजन लाल का हिस्सा	मुरब्बा नम्बर 40 किला नम्बर 6(0.2120), 7(0.2120), 8(0.0530), 11(0.0615), 12(0.2469), 13(0.2469) कुल 1.0323 हैo कृषि भूमि।
	इन्द्रजीत, कुलदीप, सुनिल पिसरान कृष्ण लाल व साहबराम, रामकुमार पिसरान भजन लाल का हिस्सा	मुरब्बा नम्बर 40 किला नम्बर 21(0.0045), 22(0.0183), 23(0.0183), 24(0.0183), 25(0.0183) कुल 0.0777 हैo कृषि भूमि का दक्षिणी हिस्सा रास्ते में छोड़ा गया है।
		वर्तमान खाता संख्या 16 मुरब्बा नम्बर 39 व 40 का शेष रकबा बदस्तुर जमाबन्दी है जिसमें मुरब्बा नम्बर 40 किला नम्बर 2 में मांगी लाल पिo सहीराम की ढाणी निर्मित है व मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 21 में दिनेश पुत्र श्री सुभाश चन्द्र की ढाणी निर्मित व मुरब्बा नम्बर 39 किला नम्बर 22 में अभिनेत्र पुत्र श्री रमेश कुमार, सुमन पत्नी श्री रमेश कुमार, विजयपाल पुत्र श्री रामचन्द्र ढाणी निर्मित है तथा मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 2 में लोकेश पुत्र श्री मांगी लाल की ढाणी निर्मित है व मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 25 में समाधी बनी है।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेंगें। नियमानुसार [illegible] की हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार [illegible] डिक्री जारी की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 15:27:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 07.03.2024 को जारी किया गया।

(संजय कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 15:27:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner